प्रेस नोट

दिनांक - 08.07.2026, थाना नवाबगंज

जनपद गोण्डा।

थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा चोरी करने के 04 आरोपी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का माल बरामद-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व प्रभारी क्षेत्राधिकारी तरबगंज श्री उमेश्वर प्रभात सिंह के नेतृत्व में थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 243/26, धारा 305, 331(4) बीएनएस व बढ़ोत्तरी धारा 317(2) बीएनएस से संबंधित 04 अभियुक्तों 1. अर्जुन गौंड पुत्र राजेश गौड़, 2. रवि गुप्ता पुत्र विजय गुप्ता, 3. हिमांशु कुमार पुत्र शिवकुमार, 4. डुग्गे उर्फ विन्द्रेश पुत्र मस्तराम को लोलपुर पुल के समीप से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 02 अदद मोबाइल फोन, 01 अदद मंगल सूत्र, 01 जोड़ी पायल बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 07.07.2026 को वादी श्री रामबहादुर यादव पुत्र भगवती यादव निवासी महावीरन इस्माइलपुर थाना नवाबगंज गोण्डा द्वारा थाना नवाबगंज पर सूचना दी गई कि दिनांक 6/7.07.2026 की रात कुछ चोरो द्वारा उनके घर में घुस कर वादी का व उनके भाई का मोबाइल फोन व जेवरात चोरी कर लिया गया है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा मु0अ0सं0- 243/26 धारा 305, 331(4), 317(3) बीएनएस बनाम अज्ञात चोरो के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था।

जिसमें आज दिनांक 08.07.2026 को थाना नवाबगंज पुलिस टीम द्वारा घटना में संलिप्त 04 शातिर चोरों 1. अर्जुन गौंड पुत्र राजेश गौड़, 2. रवि गुप्ता पुत्र विजय गुप्ता, 3. हिमांशु कुमार पुत्र शिवकुमार, 4. डुग्गे उर्फ विन्द्रेश पुत्र मस्तराम को लोलपुर पुल के समीप से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 02 अदद मोबाइल फोन, 01 अदद मंगल सूत्र, 01 जोड़ी पायल बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. अर्जुन गौंड पुत्र राजेश गौड़ निवासी भुवर रिंरजन पुर थाना कोतवाली जनपद बस्ती।
2. रवि गुप्ता पुत्र विजय गुप्ता निवासी केवटली नानकार थाना भवानीगंज जनपद सिद्धार्थ नगर।
3. हिमांशु कुमार पुत्र शिवकुमार निवासी ग्राम धनऊडीह थाना गोसाईगंज जनपद सुल्तानपुर।
4. डुग्गे उर्फ विन्द्रेश पुत्र मस्तराम निवासी महेशपुर थाना नवाबगंज, जनपद– गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0- 243/26 धारा 305, 331(4), 317(2) बीएनएस थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. 02 अदद मोबाइल फोन
02. 01 अदद मंगल सूत्र
03. 01 जोड़ी पायल

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 संजीव सिंह
02. हे0का0 सुनील यादव

03. हे0का0 विपिन सिंह
04. हे0का0 देशदीप गिरि
05. हे0का0 अशोक यादव

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस - नोट
जनपद गोण्डा

साहस एवं तत्परता से सरयू नहर में डूब रहे युवक की जान बचाने वाले हेड कांस्टेबल को पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर किया गया सम्मानित।

दिनांक 08.07.2026 को थाना धानेपुर क्षेत्रान्तर्गत सरयू नहर, अलावल देवरिया में एक व्यक्ति के डूबने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना मिलते ही थाना धानेपुर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। घटनास्थल पर पहुंचने पर पुलिस द्वारा देखा गया कि एक अज्ञात युवक सरयू नहर के तेज बहाव में बह रहा था तथा डूबता-उतराता हुआ सहायता के लिए पुकार रहा था। युवक का जीवन गंभीर संकट में था। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए थाना धानेपुर पर तैनात हेड कांस्टेबल पवन यादव द्वारा अदम्य साहस, सूझबूझ एवं कर्तव्यनिष्ठा का परिचय देते हुए अपनी जान की परवाह किए बिना सरयू नहर के तेज बहाव में छलांग लगा दी। अत्यधिक जोखिम एवं कठिन प्रयास के बाद हे0का0 पवन यादव बहते हुए युवक तक पहुंचकर युवक को सकुशल बाहर निकाल लिया, जिससे उसकी जान बच गई। बाद में युवक की पहचान राकेश कुमार पुत्र स्व० नानबाबू, निवासी मोहल्ला खलबा, थाना कोतवाली नगर, जनपद गोण्डा के रूप में हुई। सूचना पर उसके चाचा बाबूलाल को मौके पर बुलाया गया। आवश्यक पूछताछ एवं विधिक औपचारिकताएं पूर्ण करने के उपरांत युवक को सकुशल उनके सुपुर्द कर दिया गया।

उक्त सराहनीय एवं साहसिक कार्य के लिए श्रीमान् पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा हेड कांस्टेबल पवन यादव को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया।

महोदय द्वारा बताया गया कि हेड कांस्टेबल पवन यादव द्वारा अपनी जान की परवाह किए बिना मानव जीवन की रक्षा हेतु प्रदर्शित साहस, कर्तव्यनिष्ठा एवं त्वरित निर्णय क्षमता अत्यंत सराहनीय है। तथा यह पुलिस बल के लिए अनुकरणीय एवं प्रशंसनीय उदाहरण है।

मीडिया सेल, गोण्डा।